भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या – 146
(जिसका उत्तर मंगलवार, 29 नवंबर, 2016 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का समुचित उपयोग किया जाना</u>

***146. श्री महेश पोद्दार:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सरकार, संयुक्त उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा विनिर्माण प्रतिष्ठानों के लिए अपने लाभ की कुछ धनराशि क्षेत्रीय विकास हेतु व्यय करना अनिवार्य होता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में स्थित प्रतिष्ठानों ने अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितनी-कितनी धनराशि व्यय की है और इस उद्देश्य हेतु निर्धारित धनराशि में से कितनी अव्ययित धनराशि उपलब्ध है;

(ग) क्या कुछ प्रतिष्ठान कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु निर्दिष्ट धनराशि का उपयोग अपने कर्मचारियों, परिवहन व्यवस्था, सजावट कार्यों, अपने विद्यालयों, अस्पतालों एवं इनमें सुविधाओं तथा जनसंपर्क इत्यादि के लिए करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का नियमानुसार समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार रखती है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>सीएसआर धनराशि के समुचित उपयोग के संबंध में 29 नवंबर, 2016 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 146 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में यह व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक कंपनी जिसका कारोबार (टर्नओवर) या निवल मूल्य या निवल लाभ निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हो, के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत भाग इस अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है।

साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) का प्रथम परंतुक इस प्रकार पठित है "कंपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों के लिए निर्दिष्ट धनराशि खर्च करने के लिए उस स्थानीय क्षेत्र और इलाकों को वरीयता देगी जिसके आसपास यह कार्यसंचालन करती है।"

(ख): वर्ष 2014-15 के लिए जिन 7334 कंपनियों की सूचना संकलित की गई है, उनके द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का मूल्यांकन दर्शाता है कि कंपनियों ने वर्ष 2014-15 के दौरान झारखंड में सीएसआर पर लगभग 86.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सीएसआर पर किया गया राज्य-वार व्यय अनुलग्नक पर दिया गया है।

(ग): ऐसा कोई मुद्दा इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 29 नवंबर, 2016 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 146 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण</u>

क्रम संख्या	राज्य	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)	क्रम संख्या	राज्य	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	महाराष्ट्र	1101.71	20.	बिहार	15.08
2.	गुजरात	291.65	21.	केरल	57.25
3.	तमिलनाडु	446.98	22.	हिमाचल प्रदेश	5.29
4.	कर्नाटक	363.05	23.	गोवा	24.29
5.	राजस्थान	251.98	24.	मणिपुर	1.35
6.	उत्तर प्रदेश	123.14	25.	अरुणाचल प्रदेश	10.45
7.	आन्ध्र प्रदेश	167.85	26.	चंडीगढ़	0.69
8.	पश्चिम बंगाल	243.32	27.	मेघालय	1.80
9.	मध्य प्रदेश	176.41	28.	सिक्किम	0.41
10.	दिल्ली	139.75	29.	त्रिपुरा	0.34
11.	हरियाणा	107.62	30.	नागालैंड	0.08
12.	उड़ीसा	214.31	31.	पुदुचेरी	1.10
13.	जम्मू एवं कश्मीर	74.60	32.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.81
14.	छत्तीसगढ	275.37	33.	दादर एवं नगर हवेली	1.83
15.	तेलंगाना	88.53	34.	दमन और दीव	20.04
16.	उत्तराखंड	24.53	35.	लक्ष्यद्वीप	0.59
17.	पंजाब	23.71	36.	मिजोरम	0.16
18.	असम	106.84		**अन्य***	**4353.17**
19.	झारखंड	86.87		**योग**	**8803.00**

*कंपनियों ने उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम नहीं दर्शाया है जिनमें परियोजनाएं चलाई गईं।

*****